कार्यपालक अभियंता (यॉत्रिक) का कार्यालय
सिचाई यॉत्रिक प्रमण्डल, मोहनियॉ।
अल्पकालीन निविदा सूचना सं0 –07/2019-20

पत्रांक – ..../ मोहनियॉ /दिनांक ....

1. कार्य का नाम :–

ग्रुप सं	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	अग्रधन की राशि	परिणाम विपत्र का मूल्य (नहीं लौटने योग्य)	कार्य समाप्ति की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	Supply fitting fixing of 500 mm dia M.S. pipe of suction and 450 mm dia M.S. pipe of delivery at Jaitpura pump canal Jaitpura.	605011.00	12200.00	1250.00	एकरारनामा की तिथि से 07 दिन।
2	Railing on Parapet front of control Room At Durgawati Dam.	565036.00	11400.00	1250.00	एकरारनामा की तिथि से 07 दिन।

2. विज्ञापन निर्गत करने की तिथि :– दिनांक 29.02.2020
3. विभाग का नाम – जल संसाधन विभाग, बिहार पटना।
4. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता – कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, मोहनियॉ।
5. परिणाम विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय – दिनांक 09.03.2020 से 12.03.2020 5.00 बजे अपराह्न तक (अवकाश दिवस छोड़कर)
6. तकनीकी एवं वितीय निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय– दिनांक 13.03.2020 के 3.00 बजे अपराह्न तक।
7. तकनीकि निविदा खोलने की तिथि एवं समय – दिनांक 13.03.2020 को 3.30 बजे अपराह्न से।
8. वित्तीय निविदा संलेख खोलने की तिथि एवं समय – तकनीकी निविदा स्वीकृति के पश्चात् तिथि एवं समय की सूचना दी जायेगी।
9. परिणाम विपत्र बिक्री का स्थान :–
   - (क) मुख्य अभियंता (यां), जल संसाधन विभाग, पटना।
   - (ख) अधीक्षण अभियंता ।यां। सिंचाई यात्रिक अंचल गया शिविर डिहरी।
   - (ग) कार्यपालक अभियंता ।यां। सिंचाई यात्रिक प्रमंडल मोहनियॉं।

10. तकनीकि निविदा संलेख खोलने का स्थान :- कमांक 9 में वर्णित कार्यालयों में।

11. वितीय निविदा खोलने का स्थान :-कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, मोहनियाँ।

निविदा के नियमों एवं शर्त्तो की जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के सूचना पट्ट तथा परिमाण विपत्र के बिक्री स्थलों पर सम्पर्क किया जा सकता हैं। पूर्ण निविदा को बेवसाईट पर भी देखा जा सकता है। बेवसाईट WWW.prdbihar.bih.nic.in/wrd में उपलब्ध है।

सरकारी सेवा जन सेवा का माध्यम है धर्म ईमान की तरह इसे भी बेदाग रखें।

29.02.2020

(ई० सुरेश प्रसाद यादव)
कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक)
सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल,
मोहनियाँ।

पत्रांक - 161 / मोहनियाँ / दिनांक 29/02/2020

प्रतिलिपि :- सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग पटना / अधीक्षण अभियंता यां सिंचाई यांत्रिक अंचल गया शिविर डिहरी / मुख्य अभियंता यांत्रिक जल संसाधन विभाग पटना / कार्यालय के सूचना पट्ट को अनु० के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु समर्पित।

29.02.2020

(ई० सुरेश प्रसाद यादव)
कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक)
सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल,
मोहनियाँ।

निविदा के नियम एवं शर्त्त

1. उपरोक्त वर्णित यांत्रिक कार्यो के लिए लघु उधोग इकाई में निबंधन अनिर्वाय होगा।
2. निविदादाता को जल संसाधन विभाग बिहार पटना के समुचित श्रेणी में निबंधित होना आवश्यक है, तत्सम्बन्धी अदयतन निबंधन प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
3. निविदा में वे ही संवेदक भाग ले सकते है जिनका जी0एस0टी0 (GST) के अन्तर्गत निबंधित होना आवश्यक है एवं निबंधन प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
4. संवेदक द्वारा उत्तोलन प्रणाली को छोडकर गेटों के अधिष्ठापन के अतिरिक्त कार्य स्थल पर ही गेटों का निर्माण कार्य करना अनवार्य होगा ताकि कार्य के गुणवता की निगरानी भली–भॉति की जा सके।
5. अग्रधन की राशि विधिवत कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक) के पदनाम एवं कार्यालय के नाम से प्रतिज्ञापित कराना होगा अग्रधन की शशि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र (आठवॉ निर्गम) या (डाकघर सावधि जमा पासबुक) (तीन या पॉच वार्षिय) के रूप में जमा करना मान्य होगा। यह राशि परिमाण विपत्र में अंकित राशि होगी, जो प्राक्कलित राशि का दो प्रतिशत होगा ।
6. कार्य की प्राक्कलित राशि घट–बढ़ सकती है, अतएव परिमाण विपत्र में अंकित राशि के आधार पर अग्रधन की राशि एवं निविदा संलेख का मूल्य देय होगा ।
7. निविदादाताओं को दो मुहरबंद लिफाफों में निविदा दस्तावतेज समर्पित करना होगा। प्रथम मुहरबंद लिफाफा पर तकनीकी निविदा तथा दुसरे लिफाफा पर वित्तीय निविदा अंकित करना होगा। प्रथम मुहरबंद लिफाफा तकनीकी निविदा के लिए तथा द्वितीय लिफाफा वित्तीय निविदा के लिए होगा। तकनीकी निविदा वाले लिफाफा में वस्तु एवं सेवा कर अद्यतन मुल्य वर्द्धित कर निबंधन संख्या एवं सफाया प्रमाण पत्र,पैन नंबर ,श्रमिक अनुज्ञा प्रमाण पत्र ,कार्य से संबंधित विगत तीन वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र एवं भुगतान प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति तथा वांछित अग्रधन की राशि जमा करना होगा। द्वितीय मुहरबंद लिफाफा में दर अंकित कर (अंक एवं अक्षर दोनों में) जमा करना होगा । सिंर्फ प्रथम लिफाफा अर्थात उपरोक्त मापदण्डों के अधार पर योग्य एवं अयोग्य निविदादाताओं का दुसरा लिफाफा (वित्तीय निविदा) यथावत् संबंधित निविदादाताओं को वापस कर दिया जायेगा ।
8. परिमाण विपत्र का मूल्य जो लौटाया नहीं जायेगा जिसे नगद / बैंक ड्राफ्ट या Online Government Revenue and Accounting System (O-GRAS) के माध्यम से सीधे प्राप्तियों के लिए विहित सेवा शीर्ष में जमा कराते हुए उसकी पावती रसीद कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमडल, औरंगाबाद / मुख्य अभियंता (यां), जल संसाधन विभाग, पटना / अधीक्षण अभियंता (यां। सिंचाई यात्रिक अंचल गया शिविर डिहरी के कार्यालय मे जमा कर परिमाण विपत्र खरीदा जा सकता हैं ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।
9. निविदादाता को पार्टनर शीप डीड / मेमोरेण्डम ऑफ एसोसियेसन / पावर ऑफ एटर्नी / औथरीटी लेटर की सत्यापित प्रति आवश्यकतानुसार तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
10. निविदा के साथ निविदादाताओं की यांत्रिक कार्य संपादन हेतु कर्मशाला का प्रमाण पत्र, स्थान उपलब्ध मशीनों एवं तकनीकी कर्मियों की सूची संलग्न करना होगा ।

11. निविदा में कर्मशाला का फैक्ट्री लाईसेंस, जो फर्म या फर्म का मालिक के नाम के हो निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

12. निविदादाताओं द्वारा परिमाण विपत्र के दर से कम रद उद्धत करने पर पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 448 (s) दिनांक 16.01.2020 सह पठित ज्ञापांक 448 (S) दिनांक 16.01.2020 के आलोक में विभागीय पत्रांक 50 दिनांक 20.01.2020 के निदेश के कम में अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional performance Guarantee) जमा करना होगा।

13. निविदादाता को निविदा के साथ कर्मशाला का अधतन भुगतान किया हुआ विधुत विपत्र जो फर्म या फर्म के मालिक के नाम से हो संलग्न करना आवश्यक है एवं कार्य के अनुरूप उचित क्षमता 15 के० भी० ए० से 25 के० भी० ए० का डिजल जेनरेटिग सेट एवं अन्य आवश्यक यंत्र संयत्र उपलब्ध हो। जिसका प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

14. वैसे निविदादाता के निविदा को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके पास कार्य के अनुरूप उचित क्षमता का डीजल जेनेरेटिंग सेट एवं अन्य आवष्यक यंत्र संयत्र उपलब्ध हो।

15. निविदा प्राप्ति की तिथि को राजपत्रित अवकाष घोषित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस को निश्चित समय पर प्राप्त एवं खोली जायेगी ।

16. निविदादाताओं के पूर्व के संपादित कार्य भी नये कार्य आवंटन के लिए एक आधार होगा।

17. जिन निविदादाताओं को कार्य आवंटित होगा उन्हें तत्काल एकरारनामा कर कार्य प्रारंभ कर देना होगा अन्यथा कार्य आवंटन रद्द करते हुए जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी। संवेदक/एजेन्सी के विपत्र से 10% (दस) प्रतिशत राशि की कटौति की जायेगी, जिसका अंतिम भुगतान संबंधित असैनिक प्रमंडल के प्रभारी द्वारा कार्य समय पर एवं संतोषप्रद होने का सम्पुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात वापस किया जायेगा।

18. निविदा निष्पादन के दौरान वैसे निविदाकारों को कार्य आवंटन से वंचित रखा जायेगा, जिसके विरूद्ध विभाग में कालीकरण की कारवाई चल रही हो अथवा कार्य–कलाप संदेहास्पद हो ।

19. विभागीय प्राक्कलित दर से 10% (दस) प्रतिशत न्यूनतम दर के अन्तागर्त का ही निविदा मान्य होगा।

20. विभाग द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले सामग्रियों के मूल्य की कटौती संवेदक के विपत्र से प्राक्कालित राशि/निविदित राशि अथवा वास्तविक क्रय मूल्य में से जो अधिक होगा की जायेगी।

21. निविदा की अन्य शर्त्त परिमाण विपत्र के साथ संलग्न रहेगी जो निविदादाताओं को मान्य होगा।

22. कार्य का एकरारनामा एफ–2 (कंडिका –23 विलोपित) पर किया जायेगा।

23. निविदादाताओं का दायित्व होगा कि निविदा डालने के पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण कर कार्य की प्राक्कलित एवं कार्य संपादन में आनेवाली कठिनाईयों के स्वयं अवगत हो लें। एकरारनामा संपादित कर लेने के बाद किसी कारण से कार्य संपादन में असमर्थ रहने वाले संवेदक नियमानुकूल दंडात्मक कार्रवाई के भागी होगें।

24. प्रभारी अभियंता के निदेशानुसार एवं विशिष्ट के अनुरूप संवेदक को कार्य करना होगा।

25. गेट निर्माण एवं अन्य कार्यो को पूरा करते समय प्रभारी अभियंता से गुणवत्ता एवं विशिष्टता आदि की जांच करा लेना संवेदक के लिए अनिवार्य होगा, अन्यथा पुनः संवेदक के खर्च पर ही कार्य कराइ जायेगी।

26. कार्य के पूर्ण होने तक सामग्रियों की सुरक्षा एवं भंडार आदि की व्यवस्था का दायित्व संवेदक को होगा।

27. वस्तु सेवा कर, आयकर एवं श्रम कल्याण निधी मद में 1 प्रतिशत दर से लेबर सेस की कटौती की जायेगी।

28. लौह सामग्रियॉ ख्याती निर्माता द्वारा निर्मित है एवं अधिकृत विक्रेता से ही खरीदी गई है, मॉगे जाने पर संवेदक को इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।

29. सर्शत निविदा मान्य नहीं होगा ।

30. बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक निविदा को स्वीकार अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा । रद्द किये गये निविदा के लिए किसी प्रकार का स्पष्टीकरण बताने हेतु निर्णय लेने वाले पदाधिकारी बाध्य नहीं होगे ।

31. अगले 1 वर्ष तक गेटो में कोई त्रुटि पाये जाने पर उसे अपने खर्च पर ठिक कराना संवेदक की जिम्मेदारी होगी।

32. एक से अधिक निविदाकार के द्वारा समान न्यूनतम दर उद्धत किये जाने की स्थिति में सफल निविदाकार का चयन बिहार लोक र्निमाण संहिता के नियम 163 के प्रावधान के आलोक में लौटरी के माध्यम से किया जायेगा।

33. निम्न आशय का शपथ पत्र (Affidavit) निविदा के साथ समर्पित करना आवश्यक होगा।

" I the undersigned, to her by certify that all the statements made in the required attachment are true and correct and if found fake / forged, the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as black listing"

29.02.2020

कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक)
सिचाई यॉत्रिक प्रमंडल,
मोहनियॉ।